कार्यालय प्रथम अपील अधिकारी, जिला कलक्टर,दौसा

श्री दीपक कुमार गहलोत निवासी बाबाजी की छावनी, महादेव कॉलोनी दौसा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा/तहसीलदार, दौसा।

अपील संख्याः 16/2024

निर्णय दिनांक :13.05.2024

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा से सम्बन्धित है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा को पत्र क्रमांकः डी0एम0/कोर्ट/2024/1172 दिनांक 15.04.2024 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा पत्र क्रमांकः आरटीआई/2024/24-25 दिनांक 25.04.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार दौसा से सम्बन्धित है, की वस्तुस्थिति से पत्र कमांक आरटीआई/2024/23 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अपीलांट को अवगत करा दिया गया है। उक्त पत्र की प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वांछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:29:36 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] कुमार)

जिला कलक्टर, दौसा

दौसा